



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55148

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 3521 सन् 2026

कृषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिसई की प्रबंधन समिति और अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मनीष नाथ त्रिपाठी, पंकज कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी., शिवेंदु ओझा

न्यायालय संख्या 32

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रभाकर अवस्थी, जिनकी सहायता श्री मनीष नाथ त्रिपाठी कर रहे थे, और निजी प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.के. ओझा, जिनकी सहायता श्री जिगर खरे कर रहे थे, की दलीलें सुनी गईं।

2. वर्तमान मामले में, देवरिया के जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.01.2026 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि यदि प्रत्यर्थी-8 और 9 (श्री संजय कुमार पांडे और श्री शाहबाज खान) को वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उनका वेतन एक ही बार में भुगतान किया जाए।

3. आक्षेपित आदेश में, यद्यपि प्रत्यर्थी-10 (श्री ओम प्रकाश मौर्य) के वेतन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी उनके संबंध में भी आदेश पारित किया गया है और यह उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में कोई प्रबंधन समिति कार्यरत नहीं है।

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि देवरिया के जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को इस बात पर टिप्पणी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि प्रबंधन समिति अस्तित्व में है या नहीं। इसके

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अलावा, नए सिरे से चुनाव पहले ही कराए जा चुके हैं और संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक/क्षेत्रीय स्तर की समिति को कागजात भेजे जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे बताया कि प्रत्यर्थी-8, 9 और 10 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी और उनकी सेवाओं की समाप्ति का प्रस्ताव पारित किया गया था और मामला अब संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजा गया है, हालांकि, आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि कार्यवाहक प्रधानाचार्य के संबंध में यह मामला पहले ही सुलझा लिया गया था और श्री प्रकाश पांडे को कार्यवाहक प्रधानाचार्य का पद प्रदान कर दिया गया था।

7. इस स्तर पर, निजी प्रत्यर्थागण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त आदेश को चुनौती दी गई है, इसलिए न्यायालय इस विवाद में न पड़े।

8. मैंने उपरोक्त दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

9. प्रबंधन समिति के चुनाव के संबंध में, चूंकि संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक/क्षेत्रीय स्तर की समिति को कागजात पहले ही भेजे जा चुके हैं, इसलिए वे आज से 15 दिनों के भीतर उचित निर्णय लेंगे।

10. दूसरा मुद्दा प्रत्यर्थी-8, 9 और 10 के संबंध में बर्खास्तगी के प्रस्ताव से संबंधित है। यदि प्रस्ताव संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को पहले ही भेजा जा चुका है, तो वे आक्षेपित आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आज से तीन सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लेंगे।

11. अब तीसरा मुद्दा प्रत्यर्थी-8, 9 और 10 को वेतन भुगतान से संबंधित है, जो उनकी बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय के परिणाम के अधीन रहेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. यदि कार्यवाहक प्रधानाचार्य के उचित प्रस्ताव पर प्रबंधन समिति प्रत्यर्थी-8, 9 और 10 के वेतन बिल भेजती है, तो किसी भी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी और भुगतान बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर विचार के परिणाम के अधीन रहेगा।

13. इस स्तर पर, निजी प्रत्यर्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक विधिक आपत्ति उठाई है कि प्रत्यर्थी-8, 9 और 10 की बर्खास्तगी के प्रस्ताव का मुद्दा खुला रखा जाए, चाहे प्रबंधन समिति को अधिकार क्षेत्र प्राप्त हो या नहीं।

14. न्यायालय पाता है कि उपरोक्त मुद्दा संबंधित प्रत्यर्थी के समक्ष उठाया जा सकता है।

15. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी)

18 मार्च, 2026

एके

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।